रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-के.ए.-अ.-29072021-228555
CG-KA-E-29072021-228555

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 303] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 29, 2021/श्रावण 7, 1943
No. 303] NEW DELHI, THURSDAY, JULY 29, 2021/SHRAVANA 7, 1943

केनरा बैंक

(मानव संसाधन विभाग)

अधिसूचना

बेंगलूरु, 19 जुलाई, 2021

फा. सं. एचआरडब्ल्यू : आईआरएस : 124सी : एलडब्ल्यू : 3231 : 2021.—बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 (1970 का 5) की धारा 19 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केनरा बैंक का निदेशक मंडल, भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से और केंद्र सरकार की पूर्व मंजूरी के साथ, केनरा बैंक अधिकारी कर्मचारी (अनुशासन और अपील) संशोधन विनियमन, 2016 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ** - (1) इन विनियमों को केनरा बैंक अधिकारी कर्मचारी (अनुशासन और अपील) संशोधन विनियमन, 2021 कहा जाएगा।

   (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होंगे।

2. केनरा बैंक अधिकारी कर्मचारी (अनुशासन और अपील) संशोधन विनियमन, 2016 में -

(i) संक्षिप्त नाम में, आंकड़े '2016' के स्थान पर आंकड़े '2019' रखे जाएंगे;

(ii) अधिसूचना के अंत में और फुटनोट से पहले, निम्नलिखित व्याख्यात्मक ज्ञापन अंतर्निविष्ट किया जाएगा, अर्थात्:

"व्याख्यात्मक ज्ञापन – एतद्वारा यह प्रमाणित किया जाता है कि संशोधनों को पूर्वव्यापी प्रभाव देने से किसी व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।"

शंकर एस, महा प्रबंधक

[विज्ञापन-III/4/असा./168/2021-22]

फुटनोट : प्रमुख विनियमों को भारत के राजपत्र, भाग III, धारा 4 में संख्या 8:एचओ:88:जीएसआर दिनांक 01 फरवरी 1988 में प्रकाशित किया गया था और इसका अंतिम संशोधन अधिसूचना संख्या एचआरडब्ल्यू: आईआरएस:124(सी):एसजे:2542:2018 दिनांक 09.05.2018 और अधिसूचना संख्या एचआरडब्ल्यू आईआरएस 1 एके 1077 2020 दिनांक 27 मार्च 2020 के माध्यम से किया गया था।

CANARA BANK

(Human Resources Wing)

NOTIFICATION

Bengaluru, the 19th July, 2021

F. No. HRW:IRS:124C:LW:3231:2021.—In exercise of the powers conferred by Section 19 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertaking) Act, 1970 (5 of 1970), the Board of Directors of Canara Bank, in consultation with the Reserve Bank of India and with the previous sanction of the Central Government, hereby makes the following regulations to amend the Canara Bank Officer Employees' (Discipline and Appeal) Amendment Regulations, 2016, namely:-

1. Short Title and commencement. – (1) These Regulations may be called the Canara Bank Officer Employees' (Discipline and Appeal) Amendment Regulations, 2021.

(2) They shall come into force on the date of publication in the Official Gazette.

2. In the Canara Bank Officer Employees' (Discipline and Appeal) Amendment Regulations, 2016, –

(i) in the short title, for the figures '2016', the figures '2019' shall be substituted;

(ii) at the end of the notification and before the footnote, the following explanatory memorandum shall be inserted, namely:-

"*Explanatory Memorandum* – It is hereby certified that by giving retrospective effect to the amendments, no person shall be adversely affected.".

SHANKAR S, General Manager

[ADVT.-III/4/Exty./168/2021-22]

Footnote: The principal regulations were published in the Gazette of India, Part III, Section 4 *vide* No.8:HO:88:GSR dated 1st February, 1988 and lastly amended *vide* notification No.HRW: IRS:124(C):SJ:2542:2018 dated 09.05.2018 and notification No.HRW IRS 1 AK 1077 2020 dated the 27th March, 2020.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2021.07.29 20:03:01 +05'30'